ई.पी.ए.—3

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(आयुक्तालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक : एफ.18(आई—24)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / ई.पी.ए. / 2009—10 / 4323-4522 दिनांक : 30.3.10

समस्त परियोजना प्रबन्धक,
डी.डब्ल्यू.डी.यू. एवं
अधिशाषी अभियन्ता (भू संसाधन)
जिला परिषद,

विषय :— आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं में प्रवेश बिन्दु गतिविधियों अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में।

प्रसंग :— प्रवेश बिन्दु गतिविधि के सम्बन्ध में जारी परिपत्र कमांक एफ.18(आई—24) आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2009—10 / 864 दिनांक 23.2.2010

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक परिपत्र द्वारा आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं में प्रवेश बिन्दु गतिविधियों की कियान्विति हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे।

प्रवेश बिन्दु गतिविधियों अन्तर्गत चयनित कार्यों की जिलों से प्राप्त सूचना की समीक्षा करने पर पाया गया कि जलग्रहण परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त—2008 के पैरा संख्या 50 के बिन्दू संख्या (i), (ii) एवं (iii) में उल्लेखित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी चयनित किया गया है, जो कि सीधे जलग्रहण विकास के Mandate के अनुरूप नहीं है।

प्रवेश बिन्दु गतिविधि अन्तर्गत चयनित किये जाने वाले कार्यों में प्राकृतिक संसाधनों को पुनः उपयोग योग्य बनाने, पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने, स्थानीय ऊर्जा शक्यता के विकास, भू जल शक्यता के संवर्द्धन, पूर्व में किये गये पारम्परिक जलग्रहण संरचनाओं के मरम्मत एवं उन्नयन करने आदि से सम्बन्धित कार्यों के चयन पर बल दिया गया है। कई जिलों में ऐसे कार्यों का भी चयन किया गया है जो कि सीधे ही जलग्रहण कार्यों से सम्बन्धित नहीं है तथा उन गतिविधियों के लिए ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं तथा जलग्रहण के कार्य मद में प्रावधान उपलब्ध होते हुए भी प्रवेश बिन्दु कार्यों अन्तर्गत चयन कराया गया है, जो कि उचित नहीं है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा जारी निर्देशों एवं भारत सरकार के समान मार्गदर्शी सिद्धान्त—2008 में उल्लेखित प्रावधानों को स्थानीय समुदाय को विस्तृत रूप से अवगत करावें, जिससे प्रवेश बिन्दु गतिविधि अन्तर्गत ऐसे कार्यों का चयन किया जा सके जो कि सीधे जलग्रहण, पेयजल, स्थानीय ऊर्जा विकास से सम्बन्धित हो। यदि इनके अतिरिक्त अन्य कार्यों का चयन किया गया हो तो ग्राम सभा में इस बाबत संशोधन करवा लिया जावें।

आयुक्त

कमांक : एफ.18(आई—24)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / ई.पी.ए. / 2009—10 / 4323-4522 दिनांक : 30.3.10

प्रतिलिपि :—

1. लेखाधिकारी (समस्त), जिला परिषद,
2. सहायक अभियन्ता (पी.आई.ए.), पंचायत समिति ———— ।

आयुक्त